UPBS040170532024

न्यायालय IInd Addl. Civil Judge(Senior Division)/ACJM, Basti
पीठासीन अधिकारी– (DEVENDRA KUMAR-I), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02129**

Warrant or Summons Criminal Case/15450/2024
Rupesh Kumar Srivastava Vs. Shantanu Singh

धारा–138 एन०आई०ऐक्ट
थाना–कोतवाली, जनपद–बस्ती।

20.11.2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। परिवादी द्वारा अपने परिवाद में निम्नलिखित कथन किया गया है–

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में परिवादी का कथन है कि परिवादी ग्राम –अजगरा, थाना–पथरा, जिला–सिद्धार्थनगर, हाल मुकाम ब्लाक रोड निकट महारानी होटल के सामने गांधीनगर, थाना–कोतवाली जिला–बस्ती की रहने वाला है। परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि परिवादी रूपेश कुमार श्रीवास्तव में मुल्जिम शान्तनू सिंह पुत्र संजय सिंह की फर्म से बाराबंकी शहर में एक प्लाट (जमीन) लेने हेतु बातचीत करके मु०– 15,43,000/– रूपया जमा कर दिया। मुल्जिम फर्म का प्रोपेराइटर है। मुल्जिम द्वारा दिखाए गये प्लाट को दे पाने में असमर्थता व्यक्त किया गया। परिवादी द्वारा मुल्जिम को कुछ रकम अपने खाते से ट्रांसकर किया था तथा कुछ रूपये अपनी बहन रश्मि श्रीवास्तव के खाते से ट्रांसफर किया था। जिसके क्रम में मुल्जिम ने परिवादी के नाम से एक चेक मु०–3,04,320/– (तीन लाख चार हजार तीन सौ बीस) रूपये का दिया। परिवादी ने विपक्षी के दिये गये चेक को अपने बैंक में जमा किया तो उक्त चेक विपक्षी के खाते में धनराशि अपर्याप्त होने के कारण अनादृत हो गया।

परिवादी की तरफ से अपने सशपथ अन्तर्गत धारा–200 द.प्र.सं. का बयान दाखिल किया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मूल चेक कोटक महिन्द्रा बैंक, बैंक द्वारा दिया गया रिटर्न मैमो, विपक्षी को प्रेषित नोटिस की प्रति, डाक विभाग की रजिस्टर्ड डाक रसीद, डाक विभाग द्वारा डाक विभाग की ट्रैकिंग रिपोर्ट तथा आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित होता है कि परिवादी ने मुल्जिम शान्तनू सिंह पुत्र संजय सिंह से शहर में एक प्लाट (जमीन) लेने हेतु बातचीत करके मु०– 15,43,000/– रूपया जमा कर दिया।
मुल्जिम फर्म का प्रोपेराइटर है। मुल्जिम द्वारा दिखाए गये प्लाट को दे पाने में असमर्थता व्यक्त किया गया। परिवादी द्वारा मुल्जिम को कुछ रकम अपने खाते से ट्रांसकर किया था तथा कुछ रूपये अपनी बहन रश्मि श्रीवास्तव के खाते से ट्रांसफर किया था। जिसके क्रम में मुल्जिम ने परिवादी के नाम से महिन्द्रा कोटक बैंक शाखा इन्दिरा नगर लखनऊ का एक चेक सं०– 000036, दिनांकित 20.04.2024, मु०–3,04,320/– (तीन लाख चार हजार तीन सौ बीस) रूपये का दिया। उक्त चेक को परिवादी ने अपने बैंक केनरा बैंक शाखा बस्ती के अपने खाते में जमा किया तो बैंक द्वारा विपक्षी के खाते में धनराशि अपर्याप्त होने के कारण दिनांक 22.04.2024 को उक्त चेक अनादरित कर दिया गया। परिवादी ने दिनांक 15.05.2024 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को विधिक नोटिस जरिये रजिस्ट्री डाक दिया जो अभियुक्त को दिनांक 17.05.2024 को प्राप्त हो चुका है। जिसके सम्बन्ध में ट्रेकिंग रिपोर्ट संलग्न है।

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPBS040170532024/truecopy/order-1.pdf

परिवादिनी द्वारा दिनांक 26.06.2024 को परिवाद प्रस्तुत किया गया जो समय सीमा के अन्तर्गत है। अतः विपक्षी शान्तनु सिंह को धारा 138 एन०आई०ऐक्ट 1881 के अन्तर्गत बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

विपक्षी शान्तनु सिंह, अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०ऐक्ट तलब किया जाता है। परिवादी सूची गवाहान दाखिल करे। परिवादी द्वारा पैरवी के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजरी दिनांक 23.12.2024 को पेश हो।

दिनांकः–20.11.2024

(देवेन्द्र कुमार–।)
द्वितीय अपर सिविल जज (सी०डि०)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती।

www.ecourtsindia.com

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/UPBS040170532024/truecopy/order-1.pdf